

कर्मचारी सेवा विभाग

आवृत्त संख्या

22-7-24

दिनांक

22-7-24

पत्रावली पेश हुई। प्राचीन वकील
 उपस्थित। विपक्षी सं 1 उपस्थित।
 जिनकी ओर से वकील श्री पप्पु शर्मा
 ने वकील नाम पेश किया। वकील
 पक्षकारों ने आपसी राजीनामा पेश
 किया। राजीनामे अनुसार पक्षकारों
 के मध्य प्राचीन द्वारा चारा तथा चाली
 द्वारा विपक्षी द्वारा निम्नलिखित शर्तें प्राप्त
 कर ली हैं। चारा तथा चाली को
 राजस्थान शिल्ड में अमात्र परामर्श
 करने का अधिकार दिया है।
 अतः राजीनामा पत्र कर सुनाया।
 सुन समझ कर पक्षकारों के स्वीकार
 किया है। प्राचीन वकील पक्षकार वकील
 की अंतिम पाठ ने एच विपक्षी वकील
 पक्षकार वकील श्री पप्पु शर्मा ने
 की है। अतः राजीनामा स्वीकार
 किया जाता है। अतः राजीनामा
 मोजा सं 2055 के अंतर्गत सं 344 में
 स्थित आदेश सं 1647 तक जारी आदेशों
 दिनांक आ. सं. 2055/1640 एच 1645
 में श्री राजस्थान शिल्ड में राजीनामा
 किया जा चुका है। आपसी गूँथ जाता है।
 तहसीलदार अंतर्गत को तहसीर
 जारी है। पत्रावली धारण पत्रावली रिपोर्ट
 दिनांक 03-7-24 को पेश है।

कर्मचारी सेवा विभाग

दिनांक
24
2024

3